—: न्यायालय— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म0प्र0) :—

संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश

कमांक— 329 .... / 2025 उज्जैन, दिनांक : 09 / 05 / 2025

आपराधिक कार्य विभाजन आदेश कमांक—251 / 2025, उज्जैन दिनांक 09 / 04 / 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है :—

क.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्थानीय क्षेत्र	कार्य का विवरण
2.	**श्रीमती सारिका भाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1— **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— **1— खाराकुआं**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2— तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 80,00,001 / — से रूपये 1,00,00,000 / —तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3— भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23 / 12 / 2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र खाराकुंआ** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
14.	**श्रीमती प्रियंका सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1— **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— **1— महिला थाना**

CamScanner

		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2– कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क्र. 02/एक–15–1/ 2013 उज्जैन दिनांक 03/01/2019 के आदेशानुसार पुलिस थाना **माधवनगर, नानाखेड़ा, महिला थाना, नागझिरी, घट्टिया, जीवाजीगंज, जी.आर.पी. उज्जैन, चिंतामण गणेश एवं नरवर** सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें/न्यायालय को हैं।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 10,00,001/– से रूपये 15,00,000/–तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	4– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र महिला थाना** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	5– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से <u>**आज दिनांक–09/05/2025**</u> से ही प्रभावशील होगा।

अनुमोदित

Rajesh Kumar 9/5/25
(राजेश कुमार गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म0प्र0)

09/05/2025
(अश्विन परमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)

प्रतिलिपि :–

पृष्ठांकन कमांक– 329/2025 उज्जैन, दिनांक– 09/05/2025

1– माननीय उच्च न्यायालय म0 प्र0 जबलपुर के ज्ञापन कमांक डी/3175/तीन–10–48 /98 जबलपुर दिनांक 09–सितम्बर–2009 के पालन मे सादर प्रेषित।

2– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

CamScanner

3— माननीय श्री/श्रीमती ......समस्त...... अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन/खाचरौद/नागदा/महिदपुर/तराना एवं बड़नगर की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ सादर प्रेषित।

4— श्री/श्रीमती/कु. ......समस्त...... ए.सी. जे.एम./जे.एम.एफ.सी.उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

5— अध्यक्ष अभिभाषक संघ उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

6— जिला अभियोजन अधिकारी उज्जैन की ओर इस निर्देश के साथ कि जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।

7— समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जिला उज्जैन को ई.मेल द्वारा सुचित करने हेतु एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय उज्जैन को प्रेषित।

09/05/2025
(अश्विन परमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)

CamScanner